

**बिहार सरकार
सहकारिता विभाग**

पत्रांक / पटना, दिनांक
06/पणन (सं.)-12/2014 (पार्ट फाईल)

सेवा में,

महालेखाकार (ले. एवं हक.),
बिहार, पटना।

विषय :- बिहार राज्य भंडार निगम, पटना को राज्य सरकार की गारंटी पर नाबार्ड से प्राप्त ऋण पर ब्याज भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में बजट उपबंध अंतर्गत प्राप्त राशि में से चतुर्थ किस्त की राशि के रूप में वित्तीय वर्ष 2023-24 में निगम द्वारा किये गये भुगतान में हुए अंतर ₹ 1,59,670/- (एक लाख उनसठ हजार छः सौ सत्तर) मात्र के प्रतिपूर्ति हेतु निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।

आदेश :- स्वीकृत।

कृषि रोड़ मैप योजना अन्तर्गत राज्य में अपर्याप्त भंडारण क्षमता को दृष्टिगत रखते हुए बिहार राज्य भंडार निगम को वित्तीय वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में कुल 4.00 लाख मे.टन क्षमता के गोदाम निर्माण हेतु कुल ₹ 328.00 (तीन सौ अठाइस करोड़ रु०) की योजना की स्वीकृति विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-14 दिनांक-14.01.2013 द्वारा दी गयी थी। इस योजना में निगम को 10% राज्य सरकार द्वारा अनुदान तथा 90% राज्य सरकार की गारंटी पर नाबार्ड से ऋण लेकर कार्यान्वित किया जाना प्रावधानित है। निगम द्वारा 3.05 लाख मे.टन गोदाम निर्माण की योजना के कार्यान्वयन हेतु ₹ 178.00 करोड़ (एक सौ अठहत्तर करोड़ रु०) मात्र का ऋण राज्य सरकार की गारंटी पर नाबार्ड से मार्च, 2015 से जनवरी, 2019 तक लिया गया है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में ब्याज मद में चतुर्थ किस्त की प्राक्कलित राशि ₹ 2,35,50,942/- (दो करोड़ पैंतीस लाख पचास हजार नौ सौ बेयालीस) की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 521 दिनांक 20.03.2024 द्वारा प्रदान की गई थी। बिहार राज्य भंडार निगम, पटना के द्वारा नाबार्ड को उक्त वित्तीय वर्ष में चतुर्थ किस्त के रूप में रु० 2,37,10,612/- (दो करोड़ सैंतीस लाख दस हजार छः सौ बारह) भुगतान किये जाने के उपरांत पत्रांक 1612 दिनांक 29.07.2025 के द्वारा अंतर राशि रु० 1,59,670/- (एक लाख उनसठ हजार छः सौ सत्तर) मात्र की प्रतिपूर्ति निगम को करने का अनुरोध किया गया है।

उक्त के आलोक में वित्तीय वर्ष, 2025-26 अंतर्गत बिहार राज्य भंडार निगम को राज्य सरकार की गारंटी पर प्राप्त ऋण पर भारित ब्याज भुगतान हेतु बजट उपबंध ₹ 4,50,67,000/- में से कुल ₹ 1,59,670/- (एक लाख उनसठ हजार छः सौ सत्तर) मात्र के प्रतिपूर्ति बिहार राज्य भंडार निगम, पटना को करने हेतु निकासी एवं भुगतान की स्वीकृति संसूचित की जाती है।

2. उपर्युक्त राशि वित्तीय वर्ष, 2025-26 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अंतर्गत मांग संख्या-09, मुख्यशीर्ष-2425-सहकारिता, उपमुख्य शीर्ष-00, लघुशीर्ष-190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता, उपशीर्ष-0011-बिहार राज्य भंडार निगम, विस्तृत शीर्ष-33-सब्सिडी, विषय शीर्ष-01 सब्सिडी, विपत्र कोड-09-2425001900011 के अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगी।

3. इस राशि की निकासी हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के प्राधिकृत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। राशि की निकासी सी0एफ0एम0एस0 (CFMS) के माध्यम से सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी तथा आहरित राशि को बिहार राज्य भंडार निगम, पटना के बैंक खाता संख्या- 00030200001181 IFSC CODE- BARB0PATNAX Bank of Baroda, Branch Name- Patna Main Patna में NEFT/RTGS के माध्यम से भुगतान किया जायेगा।

उक्त राशि की निकासी हेतु विपत्र Fully Vouched Contingent Bill में तैयार किया जायेगा तथा राशि की निकासी बिहार राज्य भंडार निगम से प्राप्त Voucher (विपत्र) के आधार पर की जायेगी।

4. इस राशि का उपयोग उसी कार्य के लिए किया जाएगा जिस कार्य हेतु स्वीकृति दी गयी है। किसी अन्य मद में इसका उपयोग कदापि नहीं किया जाएगा। इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी तथा बिहार राज्य भंडार निगम उत्तरदायी होंगे।

5. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, बिहार क्षेत्रीय कार्यालय, पटना उक्त राशि ब्याज (सूद) मद अन्तर्गत प्राप्ति के पश्चात् इसकी सूचना निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ तथा सहकारिता विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

6. इस राशि के अंकेक्षण का अधिकार नियंत्रक महालेखा परीक्षक को होगा।

7. इसमें आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-06/पणन(सं.)-12/2014 (पार्ट फाईल) के पृष्ठ संख्या-51/टि0 दिनांक-21.08.2025 को प्राप्त है।

8. इसमें सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना की सहमति संचिका संख्या-06/पणन(सं.)-12/2014 (पार्ट फाईल) के पृष्ठ संख्या-51/टि0 दिनांक-25.08.2025 को प्राप्त है।

ह0/-
(अभय कुमार सिंह)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक.....323...../पटना, दिनांक 26/08/2025

06/पणन (सं.)-12/2014 (पार्ट फाईल)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1. कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को मुहरबन्द लिफाफे के साथ।
2. वित्त विभाग, बिहार, पटना/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/सचिव के आप्त सचिव, सहकारिता विभाग/निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भंडार निगम, बिहार, पटना/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना/राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि., बी. ब्लॉक मौर्यलोक कम्पलेक्स, बिहार, पटना/अवर सचिव, सहकारिता विभाग, प्रभारी प्रशाखा-03/आई.टी. मैनेजर, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/विपत्र लिपिक कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना (दो प्रति में)।

1
[1521]
26.08.2025

26.08.25
सरकार के अपर सचिव।